अध्याय 1 :
प्रस्तावना

अध्याय 1 : प्रस्तावना

1.1 परिप्रेक्ष्य

भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। यह अभाव मुख्यत: महिलाओं और बच्चों द्वारा झेला जाता है क्योंकि वे घरों में अशुद्ध ईंधन के जलाने से धुएं के हानिकारक प्रभावों के सबसे अधिक संपर्क में आते हैं। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन-एलपीजी, उपलब्ध कराते हुए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, भारत सरकार (जीओआई) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की (1 मई 2016)। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले ऐसे 5 करोड़ परिवारों की महिला सदस्य को नि:शुल्क एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध कराना है जो कम से कम एक अभाव से पीड़ित है।

एसईसीसी-2011 जनगणना सर्वेक्षण में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने देश में 24.49 करोड़ (17.97 करोड़ ग्रामीण और 6.52 करोड़ शहरी) परिवारों की गणना की। इसमें से 10.31 करोड़ परिवार {8.72 करोड़ ग्रामीण) (48.53 *प्रतिशत*) और 1.59 करोड़ शहरी (24.39 *प्रतिशत*)} कम से कम एक अभाव से पीड़ित है, जिनकी पीएमयूवाई के अंतर्गत पांच करोड़ एलपीजी कनैक्शन देने के लिए भारत सरकार ने पहचान की थी।

सरकार द्वारा पांच करोड़ नि:शुल्क एलपीजी कनैक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ एलपीजी कनैक्शन से संशोधित किया गया (फरवरी 2018) जिनमे उन परिवारों को ई-पीएमयूवाई योजना के तहत शामिल किया गया जो एसईसीसी-2011 सूची से पहचानी गई बीपीएल परिवार या सात श्रेणियों[1] में से किसी एक के अंतर्गत आती थी| ईपीएमयूवाई योजना के लक्ष्य को मार्च 2020 तक प्राप्त किया जाना है| तदनुसार, प्रारंभिक बजट ₹8000 करोड़ से बढ़ा कर ₹12800 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2018)।

1.2 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011

एसईसीसी-2011 की जनगणना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उस समय के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में घर-घर जाकर विस्तृत रूप से की गई (2011)। एसईसीसी-2011 जनगणना ने बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 29 अंकों के अनन्य एएचएल टीआईएन[2] प्रदान किये। प्रत्येक परिवार के प्रथम 26 अंक प्रत्येक सदस्य के लिए समान हैं, और अंतिम तीन अंक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अनन्य हैं। '001' से समाप्त होने वाला एएचएल टीआईएन

[1] अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या अति पिछड़ा वर्ग या प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या चाय और पूर्व चाय बागान लाभार्थी जनजातियों या एससी/एसटी परिवार या द्वीप और नदी द्वीप पर रहने वाले परिवार या जंगल में रहने वाले परिवार

[2] संक्षिप्त घरेलू सूची अस्थायी पहचान संख्या

'परिवार के मुखिया' को दर्शाता है और 002, 003, 004 और इससे आगे ऐसी ही संख्या संबंधित सदस्यों को दर्शाता है।

पीएमयूवाई के लिए लक्षित लाभार्थी एसईसीसी-2011 में आने वाले बीपीएल परिवारों की वे महिलायें हैं जो कि 2011 के सर्वेक्षण में अग्रलिखित अभावों मे कम से कम एक अभाव से पीड़ित है:

ग्रामीण परिवार	शहरी परिवार
केवल एक कमरे का घर, कच्ची दीवार और कच्ची छत	केवल एक कमरे का घर, कच्ची दीवार और कच्ची छत
16 से 59 की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं	18 से 59 की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
16 और 59 वर्ष की आयु के किसी वयस्क सदस्य पुरूष के बिना महिला मुखिया वाला परिवार	18 और 59 वर्ष की आयु के किसी वयस्क सदस्य पुरूष के बिना महिला मुखिया वाला परिवार
दिव्यांग सदस्य वाला और बिना किसी सक्षम सदस्य वाला परिवार	किसी भी प्रकार की अपंगता वाले सदस्य का परिवार और 18 और 59 के बीच की आयु वाला कोई सबल वयस्क सदस्य न होना
एससी/एसटी परिवार	एससी/एसटी परिवार
25 **वर्ष की आयु से ऊपर कोई साक्षर वयस्क परिवार में न हो**	21 वर्ष की आयु से ऊपर कोई साक्षर वयस्क परिवार में न हो
भूमिरहित परिवार जो मैन्यूल अस्थाई श्रम से अपनी आजीविका का बड़ा भाग अर्जित करते हैं।	किसी प्रकार की दीर्घाकालिक बीमारी से ग्रसित सदस्य वाला परिवार और 18 और 59 वर्ष की आयु के बीच सक्षम वयस्क सदस्य रहित परिवार
	बिना किसी नियमित वेतन के, असंयोजित रोजगार से आय परिवार का मुख्य स्त्रोत है।

1.3 बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना

पीएमयूवाई ने निर्दिष्ट किया कि एलपीजी कनैक्शन एसईसीसी-2011 की सूची में आने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम पर उपलब्ध कराए जाएगे। एलपीजी कनैक्शन प्राप्त करने के लिए, योग्य बीपीएल परिवार के लाभार्थी को निर्दिष्ट फार्म भरना होगा, नजदीकी एलपीजी वितरक के पास आवेदन करना होगा, अपेक्षित केवाईसी[3] पूरा करना होगा, आवासीय पते का प्रमाण, आधार नम्बर और अपने बैंक एकाउंट का विवरण उपलब्ध कराना होगा। अगर उसके पास आधार नम्बर नहीं है तो एलपीजी वितरक को उक्त को प्राप्त करने में उनकी सहायता करनी होगी। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों (18 वर्ष के ऊपर) की आधार संख्या

[3] अपने ग्राहक को जानें

उपलब्ध कराया जाना भी आवश्यक है। यदि उसके परिवार के वयस्क सदस्य के पास आधार नम्बर नहीं है, तो उसे एक शपथ-पत्र देना अपेक्षित है कि (परिवार के सभी सदस्यों की) आधार संख्या का पूरा सैट छः महीने में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसे यह उद्घोषणा करनी भी आवश्यक है कि परिवार के अन्य किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं लिया गया है।

आवेदन प्राप्त करने पर, एलपीजी वितरक द्वारा एसईसीसी-2011 डेटाबेस से आवेदन विवरण का सत्यापन करना और लाभार्थी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करना अपेक्षित है तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक के परिवार के अधिकार में कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है। तब, उन्हें इस उद्देश्य हेतु सृजित ओएमसी के संबंधित वैब पोर्टल पर आवेदन के विवरण की प्रविष्टि करनी होती है। एलपीजी उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय डेटाबेस की मशीन सर्च द्वारा पुष्टि करने के बाद कि देश में कहीं भी उक्त परिवार के पास कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है, पीएमयूवाई के अंतर्गत आवेदक को एक नया एलपीजी कनैक्शन आवंटित कर दिया जाता है।

1.4 पीएमयूवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता

पीएमयूवाई निर्दिष्ट करता है कि एलपीजी सिलेंडर, प्रैशर रैगुलेटर और संस्थापन प्रभार आदि के लिए प्रतिभूति जमा के प्रति ₹1600 प्रति एलपीजी कनैक्शन की राशि एसईसीसी-2011 में शामिल उन बीपीएल परिवार को जिनके पास पहले से कोई एलपीजी कनैक्शन नहीं है, की वयस्क महिलाओं को एकल वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) कुकिंग स्टोव और प्रथम रिफिल की लागत को कवर करने के लिए, यदि लाभार्थी चाहें तो, ऋण हेतु पीएमयूवाई लाभार्थियों को एक विकल्प प्रदान करेंगें। ऋण की इएमआई राशि रिफिल पर लाभार्थियों को देय सब्सिडी राशि से ओएमसी द्वारा वसूल की जाएगी।

सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्रेक-अप तथा ओएमसी द्वारा प्रदत्त स्टोव की तथा पहले रिफिल की कीमत के प्रति वैकल्पिक ब्याज-रहित ऋण सुविधा के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 1.1: वित्तीय सहायता का ब्रेक-अप और ऋण राशि के विवरण

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹)
1.	सुरक्षा जमा (14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर)	1250
2.	सुरक्षा जमा (प्रैशर रेगुलेटर)	150
3.	सुरक्षा नली	100
4.	घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड पुस्तिका	25
5.	संस्थापन, प्रशासनिक शुल्क	75
क	कुल (1+2+3+4+5)	1600 (भारत सरकार से सहायता)[4]
6.	स्टोव की लागत	990
7.	14.2 किलो सिलेंडर के लिए रिफिल की सांकेतिक लागत	517
ख	कुल (6+7)	1507 (ओएमसीज द्वारा वैकल्पिक ऋण सुविधा)
ग	कुल योग (क+ख)	3107
घ	केंद्र सरकार से बजटीय सहायता	1600
ड़	ओएमसीज द्वारा लाभार्थी को वित्त (या ऋण)	1507

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि राज्य सरकार/एक स्वयंसेवी संगठन/कोई व्यक्ति स्टोव और/ या पहले रिफिल की लागत में सहयोग के इच्छुक हो तो, वे पीएमयूवाई के दायरे में रहकर ऐसा कर सकेंगे और किसी अन्य योजना के नाम/ टैगलाईन पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के अनुमोदन के बिना अनुमत नहीं होगा। तद्नुसार, अग्रलिखित राज्य सरकारें पीएमयूवाई लाभार्थियों को गैस स्टोव और पहले रिफिल की लागत के प्रति आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं:

तालिका 1.2: आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता के विवरण

राज्य	विवरण
असम	स्टोव की लागत
अरुणाचल प्रदेश	स्टोव की लागत
झारखंड	स्टोव की लागत और पहली रिफिल राशि
छत्तीसगढ़	लाभार्थी द्वारा ₹ 200 का योगदान के उपरान्त स्टोव की लागत और पहली रिफिल राशि

इन राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता राशि नीचे दी गई है:

[4] इसमें से, एलपीजी वितरकों को ओएमसीज द्वारा उपरोक्त 3 से 5 मदों के लिए ₹ 200 का भुगतान किया जाएगा।

तालिका 1.3: 31.12.2018 तक राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण

ओएमसीज	छत्तीसगढ़		झारखंड		असम		अरुणाचल प्रदेश	
	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (₹ करोड़)
आईओसीएल	1047851	155.88	738080	127.08	1142896	113.15	4370	0.43
एचपीसीएल	587166	86.87	369440	63.00	131446	13.01	0	0
बीपीसीएल	507447	75.79	504267	74.26	406065	38.48	303	0.03
कुल	**2142464**	**318.54**	**1611787**	**264.34**	**1680407**	**164.64**	**4673**	**0.46**

1.4.1 पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदत्त ब्याज रहित ऋण

योजना के अनुसार, ओएमसीज ने पहले रिफिल की लागत और/या गैस स्टोव की लागत के संबंध में पीएमयूवाई लाभार्थियों को गैर प्रतिभूति वाला और ब्याज-रहित ऋण भी प्रदान किया है। 31 दिसम्बर 2018 तक, 68.25 *प्रतिशत* लाभार्थियों ने ओएमसी से ऋण प्राप्त किया है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रदत्त ब्याज रहित ऋण के तथा मई 2016 से दिसम्बर 2018 की अवधि हेतु इनके प्रति वसूली के ओएमसी-वार विवरण अग्रलिखित थे:

तालिका 1.4: प्रदत्त ऋण एवं वसूली के ओएमसी वार विवरण (आंकड़ें करोड़ में)

ओएमसी	पीएमयूवाई सक्रिय कनेक्शनों की कुल सं.	ऋण लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या	ऋण राशि (₹)		
			प्रदत्त	वसूली	बकाया
आईओसीएल	1.80	1.25	2035.51	798.40	1237.11
बीपीसीएल	0.98	0.62	1010.00	365.40	644.60
एचपीसीएल	1.00	0.71	1147.28	411.92	735.36
कुल	**3.78**	**2.58**	**4192.79**	**1575.72**	**2617.07**

1.5 योजना की कार्यान्वयन स्थिति

पांच करोड़ एलपीजी कनैक्शन से आठ करोड़ तक के लक्ष्य में पूर्ण संशोधन के साथ, प्रति वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक दो करोड़ एलपीजी कनैक्शन के वर्ष-वार लक्ष्य भी संशोधित किये गये थे (सितम्बर 2017)। 31 मार्च 2019 तक, ओएमसीज ने पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.81 करोड़ और ई-पीएमयूवाई के अंतर्गत 3.38 करोड़ एलपीजी कनैक्शन 36 राज्यों/यूटी में जारी किये। वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

तालिका 1.5: पीएमयूवाई एलपीजी कनैक्शन जारी किये जाने के लक्ष्य और उपलब्धियां (सं. करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
2016-17	2.00	2.00
2017-18	2.00	1.56
2018-19	2.00	0.25
कुल		**3.81**
ई-पीएमयूवाई कनेक्शन (2018-19)		**3.38**
कुल		**7.19**

(स्त्रोत: पीपीएसी और आईओसीएल)

7.19 करोड़ एलपीजी पीएमयूवाई कनैक्शन के वितरण के साथ, पूरे भारत में एलपीजी कवरेज 1 मई 2016 (पीएमयूवाई के आरंभ से) को 61.90 *प्रतिशत* से 1 अप्रैल 2019 को 94.30 *प्रतिशत* तक हो गया है।

1.6 मुख्य पणधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

1.6.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

एमओपीएनजी ने योजना तैयार की और ओएमसी द्वारा उक्त को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना की समग्र निगरानी के लिए मंत्रालय उत्तरदायी है। इसने समय-समय पर योजना के सहज कार्यान्वयन हेतु पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सैल (पीपीएसी) के साथ-साथ ओएमसीज को स्पष्टीकरण/निर्देश जारी किये हैं।

1.6.2 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सैल

पीपीएसी ओएमसीज के दावों की उनके खाते से संवीक्षा करती है और एमओपीएनजी को अग्रेषित करती है जो बदले में ओएमसीज को उक्त की प्रतिपूर्ति करता है।

1.6.3 तेल विपणन कंपनियां

ओएमसीज अपने एलपीजी वितरकों द्वारा (उपरोक्त पैरा 1.3 में निर्दिष्ट विभिन्न चरणों के पूरा होने के बाद) बीपीएल परिवारों की पात्र महिलाओं को पीएमयूवाई कनैक्शन प्रदान करता है। ओएमसीज मासिक आधार[5] पर पीएमयूआई के अंतर्गत जारी किये गये/ संस्थापित किये गये कनैक्शन के लिए पीपीएसी को दावे प्रस्तुत करती है।

ओएमसीज सूचना देने, शिक्षित करने और संप्रेषण (आईईसी) गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी है जिसमें क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व की उपस्थिति में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पीएमयूवाई को बढ़ावा देने और कनैक्शन जारी करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'मेले' आयोजित करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज सुरक्षा क्लीनिक/कैंप

[5] अगस्त 2016 तक, यह तिमाही आधार पर था।

और एलपीजी पंचायतों द्वारा ग्रामीण एलपीजी उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज ने सार्वजनिक देयता बीमा कवर भी लिया है ताकि एलपीजी संबंधित दुर्घटनाओं के मामलों में पंजीकृत/प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाई जा सके।

1.7 निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी अग्रलिखित स्तरों पर की जाती है:

जिला स्तर पर: जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) का होता है जो कि तीन ओएमसीज में से किसी एक का कर्मचारी होता है। डीएनओ कार्यान्वयन अभियानों को डिजाईन और संचालित करते हैं तथा बैंक/आधार संयोजन सुविधा देने के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ सहयोग भी करते हैं। डीएनओ पात्र बीपीएल परिवारों के बीच उत्साह सृजन के लिए योजना हेतु विज्ञापन और प्रोत्साहन अभियान के लिए भी उत्तरदायी हैं।

राज्य स्तर पर: प्रत्येक राज्य में सभी तीन ओएमसीज से अधिकारियों की एक राज्य-स्तर संचालन समिति स्थापित की गई जिनमे से कोई एक राज्य स्तर संचालक (एसएलसी) के रूप में कार्य करता है । राज्य के खाद्य और सामान्य आपूर्ति प्रधान सचिव को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर: संयुक्त सचिव (विपणन), निदेशक (एलपीजी) और एमओपीएनजी से सलाहकार और ओएमसी के कोर दल सदस्यों द्वारा उज्ज्वला कोर ग्रुप को गठित किया गया है। यह एमओपीएनजी के डीबीटीएल[6] सेल से संचालित होती है जिसे डीएनओ तथा ओएमसीज द्वारा पीएमयूवाई सूचना देने और एमओपीएनजी की तुरंत कार्रवाई हेतु अपेक्षित अन्य मामले प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जा सकता है।

एमओपीएनजी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस), जो एक वेब आधारित समाधान है, द्वारा पीएमयूआई कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है जिसे विभिन्न रिपोर्ट उदाहरणार्थ जिला-वार रिपोर्ट, राज्य-वार रिपोर्ट, दैनिक वृद्धि रिपोर्ट आदि उपलब्ध करवाने के लिए विकसित किया गया है।

[6] एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण